63

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 06 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019 | 05.03.2019 | 09.05.2019 |

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री भगवान दास खत्री पुत्र नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स खत्री एजेन्सी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूनानक मार्केट गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक
2– मैसर्स खत्री एजेन्सी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0
3–सुनिल लखवानी पुत्र मोहनदास लखवानी प्रोपरायटर मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सीज जी–134 पालडा रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड अजमेर राज0
4. मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सीज जी–134 पालडा रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड अजमेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 09.05.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2018 को समय 3.39 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स खत्री एजेन्सी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से भगवान दास खत्री पुत्र नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स खत्री एजेन्सी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूनानक मार्केट गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री भगवान दास खत्री को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता भगवान दास खत्री एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) के 500–500 ग्राम के 9 नग मे से 4 नग 500–500 ग्राम के पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 नग 500–500 ग्राम प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री भगवान दास खत्री को रू0 340/–अक्षरे तीन सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

770

Scanned by CamScanner

(64)

आवेदक द्वारा खरीदशुदा प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) 500–500 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड़ एवं क्रमांक I–1984 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1984 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. भगवान दास खत्री के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री भगवान दास ने मौके पर प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) बतोर वारन्टी मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सीज जी–134 पालडा रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड अजमेर राज0का खरीद बिल क्रमांक 759 दिनांक 15.10.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3031 दिनांक 27.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1732/एक्ट/2018/408 दिनांक 15.11.2018 अनुसार भगवान दास खत्री से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack)एफ.एस.एस.एक्ट की धारा 2 (ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया प्रोपरायटरी फूड गजक पिस्ता श्री महालक्ष्मी मूल पैक (Proprietary Food Gajak Pista Shri Mahalaxmi original pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री भगवान दास खत्री पुत्र नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स खत्री एजेन्सी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूनानक मार्केट गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री सुनिल लखवानी पुत्र मोहनदास लखवानी प्रोपरायटर मैसर्स महालक्ष्मी एजेन्सीज जी–134 पालडा रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड अजमेर राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

65

पर शास्ति 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0



Scanned by CamScanner